

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक एफ20(101)आयो.भि / लेखा / बजट / निकाशि / 11-12 / दिनांक -

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय (आयोजना भिन्न),
पुरुष / महिला / टी.ए.डी.

विषय :- वित्त वर्ष 2012-13 के लिए आय-व्यय अनुमानों को IFMS पर
Online करने बाबत ।

प्रसंग :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 556-671 दि0 13.10.11 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि IFMS पर देखने पर ज्ञात हुआ है कि महाविद्यालय स्तर पर बजट प्रपत्रों को Online भरते समय राशि का इन्द्राज स्मासे सहस्रं ^{स्थान सहस्रं} में नहीं किया जा रहा है, जबकि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.4 (30)वित्त/-1(1)आय-व्यय (Thonsoume) 2011 दिनांक 3.8.11 में बजट प्रपत्रों को भरते समय राशि सहस्र में दर्शाई जानी है ।

अतः वित्त विभाग के निर्देशानुसार राशि सहस्रों में दर्शाई जाना सुनिश्चित की जावे ।


मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ20(101)आयो.भि / लेखा / बजट / निकाशि / 11-12 / 80645 दिनांक - 19/10/11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

2. श्री धीरेन्द्र देवर्णी, व्याख्याता को प्रेषित कर लेख है कि कृपया विभाग की बेबसाईट पर उपलोड करने का कष्ट करें ।


मुख्य लेखाधिकारी